न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 57/2011 G.C.M.S. No. 2011/00074 दर्ज दिनांक : 11.11.2011

अपीलार्थीगण:

1–वोताराम उम्र–48 वर्ष,
2–मांगीलाल उम्र–30 वर्ष पिसरान भूराजी,
3–मगाराम उम्र–40 वर्ष,
4–लच्छाराम उम्र 30 वर्ष,
5–चेलाराम उम्र 28 वर्ष पिसरान वेना जी, जातिगण–भाम्बी, निवासीगण माण्डावास, तहसील–रोहट, जिला–पाली।
6–मृत गुमानाराम पुत्र प्रभूजी उर्फ परबूजी, जाति–भाम्बी, निवासी–माण्डावास, तहसील–रोहट, जिला पाली के विधिक उतराधिकारीगण:–
6/1–लासीदेवी बेवा स्व. गुमानाराम जी
6/2–डूंगरराम पुत्र स्व. गुमानाराम जी
6/3–सखाराम पुत्र स्व. गुमानाराम जी
6/4–मृत बाबूलाल पुत्र स्व. गुमानाराम जी के विधिक वारिसान:–
6/4/1–कलिदेवी उर्फ कालीदेवी बेवा स्व. बाबूलाल जी,
6/4/2–प्रकाश पुत्र स्व. बाबूलाल जी (नाबालिग)
6/4/3–महावीर पुत्र स्व. बाबूलाल जी (नाबालिग)
6/4/4–प्रवीणपुत्र स्व. बाबूलाल जी (नाबालिग)
6/4/5–सोमादेवी पुत्री स्व. बाबूलाल जी (नाबालिग) सभी जातिगण भाम्बी, निवासीगण माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली क्रम संख्या 6/4/2 लगायत 6/4/5 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता क्रम संख्या 6/4/1 कलीदेवी उर्फ कालीदेवी बेवा स्व. बाबूलाल जी, जाति भाम्बी, निवासी माण्डावास, तहसील रोहट।
6/5–मांगीदेवी पुत्री स्व. गुमानाराम जी (पत्नि श्री जोगाराम जी), जाति भाम्बी, निवासी धोलेरीया शासन, तहसील रोहट, जिला पाली।
7–साणाराम उम्र–56 वर्ष,
8–दुदाराम उम्र–52 वर्ष पिसरान प्रभूजी उर्फ परबूजी,
9–पुराराम पुत्र श्री डाया जी, उम्र–40 वर्ष,
10–गंवरी बेवा डाया जी, उम्र 65 वर्ष,
11–मृत हडमानराम पुत्र शिवाजी उर्फ सवाजी के विधिक उत्तराधिकारीगण:–
11/1–दाकूदेवी बेवा स्व. हडमानराम, उम्र 60 वर्ष,
11/2–जवानराम पुत्र स्व. हडमानराम, उम्र–40 वर्ष,
11/3–गोविन्दराम पुत्र स्व. हडमानराम, उम्र–22 वर्ष,
11/4–रमेश पुत्र स्व. हडमानराम, उम्र 18 वर्ष, जातिगण–भाम्बी, निवासीगण माण्डावास, तहसील–रोहट, जिला–पाली,
11/5–रेखा पुत्री स्व. हडमानराम (धर्मपत्नि श्री अमरारामजी), उम्र–38 वर्ष, निवासी–सेलडी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

11/6—मथरा पुत्री स्व. हडमानराम (धर्मपत्नि श्री राणारामजी), उम्र—36 वर्ष, निवासी—गरवलिया, तहसील—रोहट, जिला—पाली,

12—गणेशराम उम्र—57 वर्ष,

13—तुलछाराम उम्र—54 वर्ष,

14—सुजाराम उम्र 50 वर्ष पिसरान शिवाजी उर्फ सवाजी, जातिगण—भाम्बी, निवासीगण माण्डावास, तहसील—रोहट, जिला—पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1—बासिया उर्फ वसाराम

2—भंवरीया

3—मादिया पिसरान विरदाजी (वरदाजी)

4—मृत शंकरराम पुत्र श्री लुम्बाराम जी, जाति मेघवाल, निवासी माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारीगणः—

4/1—मूलीदेवी बेवा शंकरराम जी, उम्र—बालिग,

4/2—कनियादेवी पुत्री शंकराम जी, धर्मपत्नि मालाराम, उम्र—बालिग, जातिगण मेघवाल, निवासीगण माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली,

5—खीमाराम

6—लक्ष्मणराम

7—कानाराम पिसरान नेमाजी,

8—मृत रावतराम पुत्र लुम्बारामजी, जाति—मेघवाल, निवासी—माण्डावास, तहसील—रोहट, जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारीः—

8/1—रामीदेवी बेवा रावतराम जी, उम्र—बालिग,

8/2—सोमाराम पुत्र रावतराम जी, उम्र—बालिग, जातिगण—मेघवाल, निवासीगण माण्डावास, तहसील—रोहट, जिला—पाली,

8/3—सोहनीदेवी पुत्री रावतराम जी, धर्मपत्नि वक्तारामजी, उम्र—बालिग, निवासी—कन्याली, तहसील—लूणी, जिला—जोधपुर,

8/4—संतोष पुत्री रावतराम जी, धर्मपत्नि देवारामजी, उम्र—बालिग, निवासी—मुरडिया, तहसील—रोहट, जिला—पाली

8/5—केलादेवी पुत्री रावतराम जी, धर्मपत्नि पोकररामजी, उम्र—बालिग,

8/6—संगीता पुत्री रावतराम जी, धर्मपत्नि सांवलरामजी, उम्र—बालिग, जातिगण मेघवाल, निवासीगण चेण्डा, तहसील—रोहट, जिला—पाली,

9—मांगीलाल पिसरान लुम्बाराम जी,

10—पेपी बेवा लुम्बाराम जी,

11—पदमाराम

12—मूला पिसरान् चेनाजी

13—ढलाराम

14—बगदाराम

15—मोहनराम

16—बींजाराम

17—कुकाराम पिसरान छोगाजी,

18—गंगादेवी बेवा छोगाजी, जातिगण—भाम्बी, निवासीगण माण्डावास,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसील–रोहट, जिला–पाली.

19–राज. सरकार जरिये तहसीलदार रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली

20–मारवाड़ ग्रामीण बैंक (एम.जी.बी.) शाखा रोहट, जिला–पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2010 बअनवान वोताराम वगैरह बनाम बासिया उर्फ वसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री राजेन्द्र मेवाड़ा, श्री नवरत्न चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री महेन्द्रसिंह मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

अपील प्राधिकारी ... पाली

निर्णय

दिनांक: 27.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2010 बअनवान वोताराम वगैरह बनाम बासिया उर्फ वसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 लगायत 19 के विरूद्ध भूमि विभाजन, अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का योग्य अधीन न्यायालय में पेश किया व साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसे योग्य अधीन न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। ग्राम माण्डावास में चकबन्दी संवत 2018 में होकर संवत 2019 में प्रभावशील हुई। वादस्थ भूमि के प्रार्थना–पत्र पद संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बरान सेटलमेन्ट संवत 2012 में दर्ज है और इन सेटलमेन्ट खसरा नम्बरान के काबिज खातेदारान परबू, शिवा व चेना पिसरान भूताजी हिस्सा 3/4 व विरदा वल्द गुलाजी हिस्सा 1/4 कौम भाम्बी निवासी माण्डावास खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 में दर्ज है। अतः ऊपर दर्ज अनुसार बाद में जब भूमि एकीकरण हुआ, तब वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में उसके खातेदारों का हिस्सा अनुपात अधिकार आदि का इन्द्राज जो रेकर्ड ऑफ राइट खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज था। उसकी ही पूर्णरुप से पुनरावृत्ति भूमि एकीकरण की खतौनी (जमाबन्दी) संवत 2019 में की जानी विधिक रुप से आज्ञापक थीं। क्योंकि वादस्थ भूमि के खातेदारी के हिस्सा अनुपात अधिकार में परिवर्तन करने सम्बन्धी किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी का निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं था और न कोई म्यूटेशन आदेश था। वादस्थ भूमि के खातेदारो में से चूना पुत्र भूताजी भाम्बी निवासी माण्डावास का भूमि एकीकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

शुरु होने से कुछ महिने पहले ही देहान्त हो गया था और उसके जायन्दा पुत्र पदमा, छोगा व मूला मौजूद थें। परन्तु भूमि एकीकरण अधिकारियों ने (जिसमें भूमि एकीकरण इंस्पेक्टर भी शामिल है) रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 पदमाराम, रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 क्रमशः शंकरराम, खीमाराम, लक्ष्मणराम, कानाराम के पिता नेमाजी (नेमला) तथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 रावतराम व रेस्पोंडेन्ट संख्या 9 के पिता व रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 श्रीमती पेपी के पति लुम्बाराम (लुम्बिया) से मिलावट कर उनका पक्ष कर ऊपर दर्ज परबू, शिवा (सवा), चेना पिसरान भूता के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि सम्बन्धी सेटलमेन्ट संवत 2012 में खता संख्या 154 में जो इन्द्राज दर्ज था, उसकी पुनरावृति नहीं की जो इस इन्द्राज की पुनरावृति किया जाना विधिक व तथ्यात्मक रुप से आज्ञापक है। परन्तु बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्रियां आदेश के विधि विरुद्ध व बिना अधिकारिता भूमि एकीकरण खतौनी (जमाबन्दी) संवत 2019 में इन्द्राज में परिवर्तन कर परबू पुत्र श्री भूताजी, सवा (शिवा) पुत्र श्री भूताजी का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज नहीं कर इन दोनों का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा गलत तौर से व विधि विरुद्ध व बिना अधिकारिता दर्ज किये और उक्त परबू व सवा (शिवा) का पद संख्या 02 में दर्ज भूमि में परबू व सवा (शिवा) का हिस्सा घटा दिया। हालांकि भूमि एकीकरण के बाद वादग्रस्त भूमि पर उक्त परबू (प्रभु) व शिवा (सवा) का अपने अपने 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार पूर्वपत कब्जा व काश्त कायम रहा। इस तरह उपरोक्त चेना पुत्र श्री भूताजी का सेटलमेन्ट खतौनी में पद संख्या 02 में दर्ज भूमि में खातेदारी हिस्सा 1/4 दर्ज था। जो गलत तौर से विधि विरुद्ध उसके वारिसान पुत्र पदमा, छोगिया व मूला का हिस्सा घटाकर 1/5 दर्ज कर दिया एवं विरदा पुत्र श्री गुलाजी का पद संख्या 02 में दर्ज भूमि में खातेदारी हिस्सा 1/4 था परन्तु गुला पुत्र श्री भूताजी के वारिसान विरदा, नेमला व लुम्बिया को नाजायज व विधि विरुद्ध फायदा पहुंचाने की नियत से बिना अधिकारिता भूमि एकीकरण अधिकारी ने विरदा, नेमला, लुम्बिया पिसरान गुलाजी का हिस्सा 2/5 दर्ज कर दिया व इस सम्बन्ध में भूमि एकीकरण इस्पेक्टर की राय दिनांक 29/10/1961 सहायक भूमि एकीकरण अधिकारी का आदेश दिनांक 16/11/1961 जो भूमि एकीकरण विभाग जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम माण्डावास संवत 2012 से 2031 में दर्ज है व जिसकी प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गयी हैं। जो उक्त आदेश विधिविरुद्ध, बिना अधिकारिता व Ab initio void व प्रभावशून्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2010 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 14.02.2011 को अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 के अंकन अनुसार परबू, शिवा व चेना पिसरान भूता 3/4 एवं विरदा वल्द गुला 1/4 बतौर खातेदार दर्ज थें। तत्पश्चात भूमि एकीकरण कार्यवाही के दौरान सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.11.1961 द्वारा परबू, शिवा पिता भूता 2/5, पदमा, छोगा व मूला पिता चेना 1/5 एवं वरदा, नेमला, लूंबा पिता गुला 2/5 दर्ज किया गया तथा इसी अनुसार पर्चा लगान जारी किया गया। जिसके आधार पर पश्चातवर्ती भूमि अभिलेख इसी अनुरूप तैयार हुआ। वादीगण वस्तुतः परबू, शिवा व चेना के वारिसान है। जिनके द्वारा मुख्य रूप से भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों को भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों को परिवर्तित करने व खातेदारी प्रदान करने या समाप्त करने तथा काश्तकारों के खातेदारी हिस्सा कम करने या बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में विचारणीय विषय यह भी हैं कि क्या भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों को खातेदारी अधिकारों के संबंध में कार्यवाही किए जाने एवं विचारण व निर्णयन का कानूनन अधिकार प्राप्त होता है या नहीं, उक्त प्रश्न का विनिश्चय मूल वादपत्र के गुणावगुण पर निर्णय द्वारा ही संभव है। लेकिन चूंकि यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों को काश्तकारों के खातेदारी अधिकार समाप्त करने या प्रदान करने या कमी या बढ़ोतरी किए जाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण अपीलांट्स के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा भूप्रबंध विभाग द्वारा संपादित उक्त आक्षेपित कार्यवाही के आधार पर प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होना मानकर वस्तुतः कानूनन भूल की हैं। साथ ही चूंकि वादीगण अपीलांट्स द्वारा भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों को ही प्रश्नगत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभिलिखित खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती, स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रकरण में अपने खातेदारी हक, हिस्से तक पक्षकारान के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होता है। साथ ही यदि प्रश्नगत भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अंतरित या भारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को ही अपूरणीय क्षति संभव है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व हस्तगत अपील बखूबी साबित होती हैं। लिहाजा, अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट मंजूर करते हुए उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजीयात का रहन, बेचान व अंतरण आदि नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति को परिवर्तित नहीं किए जाने बाबत अस्थाई व्यादेश से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2010 बअनवान वोताराम वगैरह बनाम बासिया उर्फ वसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 को अपास्त करते हुए उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई व्यादेश से पाबंद किया जाता है कि ग्राम माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 5/1, 5/2, 489, 6, 149, 365/9, 488, 6/1, 149/1, 488/1, 6/2, 149/2, 365/9/1, 488/2 की भू–अभिलेखीय स्थिति में ताफैसला वाद कोई परिवर्तन नहीं करें तथा रहन, बेचान व अंतरण आदि नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली